न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर०ए०एस

न० – 09/2025

वान : –

1. सुखराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट आयु 70 साल निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम्

1. सुनीता पत्नी सतवीर जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
2. विरेन्द्रसिंह पुत्र सतवीर जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
3. मन्जीत पुत्र सतवीर जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
4. इन्द्रपाल पुत्र सुरजभान जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
5. कलावती पत्नी सुरजभान जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
6. महावीर पुत्र हरिसिंह जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
7. पीएनबी शाखा निनाण तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
9. एचडीएफसी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
10. एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला) शाखा मूर्तिचोक भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित
धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री दलीप सिंह झोरड़ प्रार्थी
श्री तरूण मिश्रा अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः 25.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक चक 17 एएमएस के खाता सं0 128/118 के मु0 न0 56 के किला नं0 14, 15/1 15/2, 16/1 16/2, 17, मु० नं0 57 के किला नं0 9 ता 12, 19 व 20 कुल किता 12 की 2.530 हैक्टेयर नहरी मय खाला की खातेदारी प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है एवं प्रार्थी की उक्त खातेदारी के चिपते ही अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की चक 17 ए एम एस के खाता सं0 18/121 के मु0 नं0 45 के किला नं0 21 ता 23. मु० नं0 57 के किला नं0 4/1, 4/2 5/1 5/2, 6 ता 8, 13, 14, 15/1 15/2 16/1, 16/2 17, 18, मु0 नं0 58 के किला नं0 1, 2, 8 ता 13, 19, 20 कुल किता 28 की 6.072 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता की मुश्तर्का खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:58:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अपनी खातेदारी मे सदामत से चक [illegible] एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 16 मे उत्तर से दक्षिणी मन्जुरशुदा रास्ते [illegible] 16 ता 18 मे दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम चलकर अपनी खातेदारी चक 17 [illegible] के मु0 नं0 57 के किला नं0 19 में प्रवेश करता आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई चालू या स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति

से राजीनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 7 ता 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। मुताबिक राजीनामा के चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 19 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की खातेदारी चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 16 ता 18 मे दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम सवा आठ फिट चोडाई मे व 495 फिट लम्बाई मे रास्ता आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है एवं चक प्रार्थी की खातेदारी चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 9, 12, 19 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण दस फिट चोडाई व 485 फिट लम्बाई मे भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 के खाता मे दर्ज की जावे व किला नं0 19 के दक्षिणी पूर्वी कोना मे रास्ता की चोडाई के अनुसार ही बदले में भूमि देते समय प्रार्थी के खाता मे यथावत रखे जाने दर्ज किये जाने हेतु सहमत है। उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पडता है। रास्ता की एवज की भूमि के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की पालना के लिए तत्पर व तैयार है उक्त धारा के अनुसार भूमि देने हेतु तत्पर व तैयार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजीनामा में प्रार्थी 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 19 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की खातेदारी चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 16 ता 18 मे दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम सवा आठ फिट चोडाई मे व 495 फिट लम्बाई मे रास्ता आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है एवं चक प्रार्थी की खातेदारी चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 9, 12, 19 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण दस फिट चोडाई व 485 फिट लम्बाई मे भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 के खाता मे दर्ज की जावे व किला नं0 19 के दक्षिणी पूर्वी कोना मे रास्ता की चोडाई के अनुसार ही बदले में भूमि देते समय प्रार्थी के खाता मे यथावत रखे जाने हेतु सहमत है व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि या रास्ता की भूमि की एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि/भूमि देने को तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 19 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की खातेदारी चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 16 ता 18 मे दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम सवा आठ फिट चोडाई मे व 495 फिट लम्बाई मे रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थीगण खातेदारी चक 17 एएमएस के मु0 नं0 57 के किला नं0 9, 12, 19 के पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण दस फिट चोडाई व 485 फिट लम्बाई मे भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 के खाता मे दर्ज की जावे व किला नं0 19 के दक्षिणी पूर्वी कोना मे रास्ता की चोडाई के अनुसार ही बदले में भूमि देते समय प्रार्थी के खाता मे यथावत रखी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:58:51 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़